भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं .1958
08/08/2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जलवायु परिवर्तन और बढ़ता समुद्री जलस्तर

1958. डा. सिकंदर कुमार:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण प्रभावित होने वाली भूमि का आकलन करने या निचले तटीय क्षेत्रों के पास रहने वाले परिवारों, जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं, को बचाने के लिए कोई रणनीति बनाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या सरकार जलवायु परिवर्तन के पीडितों जैसे कि पलायन करने के लिए मजबूर लोगों के लिए सहायता और पुनर्वास की पेशकश करने की योजना बना रही है;
(घ) क्या चालू वर्ष में समुद्र के बढ़ते जलस्तर को कम करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) एवं (ख) जी हां। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) ने प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन परिषद (PMCCC) के मार्गदर्शन में जलवायु परिवर्तन की प्रतिक्रिया में अनुकूलन एवं शमन के लिए रणनीतियां तैयार की हैं। इसमें तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र स्तर वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन एवं प्रबंधन करने संबंधी उपाय शामिल हैं। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) का लक्ष्य जलवायु अनुकूलन है, जिसमें तटवर्ती क्षेत्र भी शामिल हैं। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) संवेदनशील तटवर्ती समुदायों की सुरक्षा करने तथा समुद्र स्तर में वृद्धि के प्रति उनकी सुदृढ़ता को बेहतर बनाने संबधी उपायों का वित्तपोषण करती है। इसके अतिरिक्त, तटीय विनियम जोन (CRZ) अधिसूचना का भी लक्ष्य तटवर्ती क्षेत्रों में विकास को प्रबंधित एवं विनियमित करना है। तटीय विनियम जोन (CRZ) विनियम तटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा करने, तथा मानव गतिविधियों के प्रभावों को प्रबंधित करके समुद्र स्तर में वृद्धि के प्रति संवेदनशीलता को कम करने में मदद करते हैं।

(ग) जी हां। सरकार ने प्रभावित लोगों की सहायता एवं पुनर्वास के लिए योजनाएं बनायी हैं। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सुदृढ़ता-निर्माण, तथा अन्य अनुकूलन उपाय का समर्थन करती है, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) तथा राज्य-स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास आपदा प्रतिक्रिया एवं रिकवरी हेतु रूपरेखा है। राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (NDMF) तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के अंतर्गत तटीय क्षरण से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु 2500 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। ये रूपरेखा तथा पहल चरम मौसमी घटनाओं तथा जलवायु आपदाओं के दौरान और उनके पश्चात विस्थापित लोगों की सहायता करने के लिए हैं।

(घ) एवं (ङ) जी हां। इस वर्ष राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) ने तटीय सुरक्षा निर्मित करने, मैंग्रोव पुनर्स्थापित करने, तथा संवेदनशील तटवर्ती समुदायों की सुदृढ़ता बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024 के दौरान पहलों में जलवायु कार्य योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय संवहनीय पर्यावास मिशन, तथा राष्ट्रीय हरित भारत मिशन का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करना तथा समुद्र स्तर की वृद्धि का अप्रत्यक्ष रूप से समाधान करना है। साथ ही, समुद्र स्तर में वृद्धि समेत जलवायु अध्ययनों में शामिल विभिन्न एजेंसियों एवं संगठनों के अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रयासों के आउटपुट के आधार पर अनुकूलन रणनीतियां तैयार की जाती हैं।

*****